

# राजस्थान में आदिवासी समुदाय का जीवन परिचय

**RAVINDRA SINGH BHATI**

**सारांश :** भारत की भाँति राजस्थान भी प्राचीन काल से ही विभिन्न जनजातियों का आश्रय स्थल रही है। यहाँ पर पायी जाने वाली जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथौड़ी, सांसी प्रमुख है। ये सभी जनजातियाँ उपयोजना के अन्तर्गत आती है जो विभिन्न प्रकार की आन्तरिक व बाह्य समस्याओं से जकड़े हुए है जैसे ऋणग्रस्तता, गरीबी, बेरोजगारी प्रमुख समस्या है साथ ही अन्य सामाजिक समस्याएँ भी है पर अनेक सरकारी योजनाएँ व समाज सेवी संस्थाएँ है ताकि समस्या का निवारण हो सकें। प्रस्तुत शोध इसी विषय पर राजस्थान के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

राजस्थान में कुछ ऐसे समूह है जो अन्य समाजों से प्रारम्भ से ही दूर रहे है। वर्तमान में भी बड़ी संख्या में समाज से कटे ये लोग जंगलों व पहाड़ों में निवास करते है जिन्हें प्राचीन साहित्य में अनेक शब्दों से अभिहित किया गया है जैसे अनासा, अकर्मन, अयज्वन्, अब्रह्मन व आधुनिक भाषा में इन्हें जनजाति आदिवासी या ट्राइबल कहा जाता है। जनजातियों के लोग एक विशेष क्षेत्र में रहकर समान भाषा एवं सामान्य संस्कृति का अनुसरण करते है।

**मुख्य शब्दः—** जनजातियाँ, अस्पृश्यता, गरीबी, सांस्कृतिक अलगाव, बेरोजगारी, अशिक्षा, सरकारी योजनाएँ

**प्रस्तावना :** प्रस्तुत शोध में जनजातीय समुदाय की विविध समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किये गये है। एक ओर हमारे देश में विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने सुख-सुविधा व सम्पन्नता को हर मानव के लिए सुलभ करा दी दूसरी ओर इसी देश में ऐसे मानव समूह भी निवास करते है जो आधुनिक प्रौद्योगिकी से बिलकुल अनभिज्ञ है वे समाज से दूर जंगलों व पहाड़ियों पर रहते है जिन्हें आदिवासी जनजाति या ट्राइबल के नाम से संबोधित किया जाता है ये आदिवासी प्रारंभ से ही प्रकृति के पुत्र रहे है और प्रकृति के बीच ही निवास करने आ रहे है भारत में मध्यप्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, मणिपुर, आसाम, मेघालय, तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों में बड़ी मात्रा में आदिवासी रहते है इनमें से राजस्थान का 5वां स्थान है इस राज्य का भू-भाग सदियों से आदिवासियों का आश्रयस्थल रहा है इस क्षेत्र में भील, मीणा, गरासिया, डामोर, कथौड़ी सांसी, सहरिया आदि प्रमुख जनजातियाँ निवास करती है इस समय जनजाति समाज की सबसे गंभीर समस्या उनका पिछड़ापन व गरीबी है और यही कारण है कि इस वर्ग की गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में प्रशासनिक तंत्र बुद्धिजीवी एवं स्वयंसेवी संस्थाएँ सभी प्रयत्नशील है। राज्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजाति उपयोजना क्षेत्र कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किये गये है लेकिन इस क्षेत्र में निवासित जनजातियाँ आज भी अत्यन्त पिछड़ी हुई है तथा गरीबी, ऋणग्रस्तता, बधुआ मजदूरी, अशिक्षा, अंधविश्वास आदि के कुचक्र में बुरी तरह जकड़ी हुई है। आदिवासी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का नितान्त अभाव है और नियोजन समान नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवम् विकास के लिए अनेकों योजनाएँ बनायी है तथा इसके विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किये है।

**अध्ययन के उद्देश्य :-**

1. राजस्थान की जनजातियों की समस्याएं चिह्नित करना।
2. जनजातियों की समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करना।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र की जनजातियाँ विभिन्न प्रकार की आन्तरिक एवं बाह्य समस्याओं से ग्रसित है। ये लोग ऋणग्रस्तता, अशिक्षा, अंधविश्वास, बेरोजगारी, आदि अनेक समस्याओं से बुरी तरह जकड़े हुए है। जनजाति

उपयोजना क्षेत्र में आधारभूत सूचना का भी प्रायः अभाव देखा जाता है इन्हीं अभावों और समस्याओं ने इनको गरीबी में धकेल दिया है इनकी कुछ प्रमुख समस्याओं का वर्णन निम्नलिखित है:-

### **आदिवासी समुदाय की प्रमुख समस्याएँ :**

आजादी के इतने वर्ष बाद भी राजस्थान के आदिवासी उपेक्षित, शोषित और पीड़ित नजर आते हैं। जनजातीय लोगों का जीवन सदैव ही समस्याओं से घिरा रहा है। लेकिन आज की लोकतंत्रीय व्यवस्था ने जहाँ जनजातीय लोगों को सार्वजनिक जीवन के साथ जोड़ा है वहीं इस जाति के लोगों में अनेक नवीन समस्याओं ने जन्म लिया है। क्योंकि अधिकांश जनजातीय लोग राज्य के दूरस्थ घने जंगलों और पहाड़ी हिस्सों में एकांकी रूप से निवास करते हैं। इस कारण इन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी, यातायात और संचार के साधन आज भी आदिम दशा में हैं। जिसके फलस्वरूप इन लोगों का जीवन एक ओर प्राकृतिक परिस्थितियों पर अधिक निर्भर होने के कारण जीवनयापन में अनेक समस्याओं का स्वभाविक रूप से जन्म होता है दूसरी ओर पर्याप्त यातायात के साधनों का अभाव इन लोगों की समस्याओं का मुख्य कारण है क्योंकि वर्तमान समय में जहाँ शहरों की चकाचौंध और अनेक आर्थिक समस्याओं ने इन्हें शहर की ओर आकर्षित किया है वहीं अनेक समस्याओं जैसे- सांस्कृतिक अलगाव, भूमि अलगाव, अस्पृश्यता, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य, कुपोषण आदि अनेक समस्याओं से इनका निरन्तर शोषण हो रहा है। जनजातीय समाज विभिन्न कारकों के कारण आज भी अनेक समस्याओं से ग्रस्त है:-

### **धर्म परिवर्तन की समस्या :**

ब्रिटिश शासनकाल में ही ईसाई मिशनरियों द्वारा उनके विकास, कल्याण के नाम पर आर्थिक प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाया गया जिसके फलस्वरूप अनेक आर्थिक व परसंस्कृति ग्रहण सम्बन्धी समस्याओं का विकास हुआ। मजूमदार तथा मदन के अनुसार भारतीय जनजातियों की अधिकांश समस्याएं उनके भौगोलिक पृथक्करण और नए सांस्कृतिक सम्पर्क का परिणाम हैं।

### **यातायात के साधनों का अभाव :**

अधिकांश जनजातियां पहाड़ों, जंगलों और दूरवर्ती दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती हैं जहां उनका अन्य लोगों से सम्पर्क नहीं हो पाता क्योंकि आवागमन के साधनों का अभाव है। अतः उन्हें जीवनयापन के उचित अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं।

### **वन सम्पदा पर रोक :**

जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वन सम्पदा जैसे कीमती लकड़ी, फल-फूल, जड़ी-बूटियाँ, चाय-बागान आदि प्रचुरता में उपलब्ध हैं जिनके कारण अनेक उद्योगों का विकास हुआ किन्तु इसका दुष्प्रभाव दो रूपों में पड़ा। बाह्य लोगों जैसे- व्यापारी, महाजन, ठेकेदार, प्रशासक, पुलिस अधिकारियों के साथ समायोजन व्यवहार की समस्या तथा इनकी गरीबी व अशिक्षा का लाभ उठाकर बाह्य लोगों द्वारा इनका शोषण किया गया।

### **प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर रोक :**

ब्रिटिश शासन से पूर्व ये जनजातियां राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र इकाइयां थीं। वन खनिज संपदा पर इनका एकाधिकार था किन्तु अंग्रेजों द्वारा सम्पूर्ण देश में एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित कर जनजातियों के अधिकार सीमित कर दिए गए और प्राकृतिक सम्पदा के उपभोग पर रोक लगा दी गई। नई प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था से संतुलन बनाने में जनजातीय समाज को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

### **निर्धनता की समस्या :**

आर्थिक आधार पर जनजातियों की सबसे बड़ी समस्या निर्धनता की है जो इनके पिछड़ेपन का मुख्य कारण होने के साथ ही इनके निम्न आर्थिक स्तर के लिए भी उत्तरदायी है। निर्धनता के लिए कृषि के पिछड़े तरीके, नई वन

नीति, कृषि भूमि से पृथक्ता, दोषपूर्ण व्यवहार, अधिक जन्मदर, विकास योजनाओं का दोषपूर्ण क्रियान्वयन आदि कारण उत्तरदायी है।

#### **ऋणग्रस्ता की समस्या :**

विभिन्न जनजातियों के 60 प्रतिशत से अधिक परिवार किसी न किसी रूप में ऋणग्रस्त हैं। जन्म, मृत्यु, विवाह, सामूहिक भोज जैसे अवसरों के लिए ली गई ऋणराशि द्वारा जनजातीय लोग भारत की सांस्कृतिक धरोहर जनजातियों अपने दायित्वों को पूरा करते हैं। यद्यपि सरकार की विभिन्न संस्थाओं आई.टी.डी.ए., सहकारी समितियों, बैंकों व जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा नाममात्र के ब्याज पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है किन्तु अशिक्षा-अज्ञान के कारण जनजातीय लोग अपनी जनजाति या महाजनों से ऋण लेना पसंद करते हैं। ऋणग्रस्तता के लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं – नई वन नीति के कारण वन सम्पदा के उपयोग से वंचित, जनजातीय कृषि भूमि का छोटा आकार व अनुपजाऊ होना, उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त ना होना, खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि होना, मद्यपान व आय से अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति, ऋण लेने के लिए सरकारी संस्थाओं की अपेक्षा स्थानीय महाजनों पर निर्भरता।

ऋणग्रस्तता की समस्या के कारण जनजातीय समाज का निरंतर विघटन हो रहा है क्योंकि गरीबी के कारण उचित मात्रा में भोजन का अभाव अनेक रोगों को जन्म देता है। साथ ही चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव होने के कारण बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं होती। बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और कृषि भूमि से बेदखल होने की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं।

#### **भूमि प्रथक्करण की समस्या :**

जनजातीय समुदाय की एक बड़ी समस्या भूमि पृथक्करण की भी है जिसका तात्पर्य है जब जनजातीय लोग लिए गए ऋण को चुका पाने में असमर्थ होते हैं तो विवश होकर स्वेच्छा से अपनी कृषि भूमि को अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर देते हैं। भूमि पृथक्करण की समस्या का पूर्ण अनुमान उपलब्ध नहीं है किन्तु राजस्थान एवं गुजरात में आधी से अधिक जनजातीय कृषि भूमि गैर-जातीय समूहों के स्वामित्व में आ चुकी है। इस समस्या के लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं – बाह्य स्वार्थी लोगों द्वारा अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर व छलकपट द्वारा इनकी विवशता का लाभ उठाकर इनकी भूमि पर कब्जा करना है, भूमि हस्तान्तरण संबंधी दोषपूर्ण कानून, गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान, मद्यपान की परम्परा, विकास कार्यक्रमों से लाभ की अपेक्षा दुष्प्रभाव, विकास हेतु ली गई कृषि भूमि के मुआवजे में प्राप्त धनराशि को शराब और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति आदि में खर्च किया जाना है। जनजातीय समाज अनेक सांस्कृतिक समस्याओं से भी ग्रस्त है यथा सांस्कृतिक विघटन की समस्या, पर संस्कृति ग्रहण के कारण अभियोजन अनुकूलन की समस्या, भाषा की समस्या, जनजातीय धर्म के प्रति उदासीनता की प्रवृत्ति, परस्पर ऊंच-नीच की प्रवृत्ति, लोककलाओं का पतन होने से जनजातीय सभ्यता और संस्कृति विनाश के कगार पर है।

नगरीकरण, औद्योगीकरण, बाह्य लोगों के सम्पर्क के कारण जनजातीय समाज निम्न सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है— पारिवारिक विघटन की समस्या, बाल विवाह की प्रवृत्ति, नैतिक पतन, मद्यपान की प्रवृत्ति का विकास, सामूहिक जीवन में गतिरोध, स्त्रियों की स्थिति में ह्रास, युवा गृह जैसी संस्थाओं के महत्व में कमी। निर्धनता के कारण उचित पौष्टिक आहार का अभाव, आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण गंदगी की समस्या, अंधविश्वास और परम्पराओं के कारण शिक्षा के प्रति कम रुझान तथा जनसंख्या का अधिक बढ़ना।

#### **जनजातीय विकास के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम :**

सरकार द्वारा समय-समय पर जनजातियों के हितार्थ अनेक कदम उठाये है जो निम्नलिखित प्रकार से है— संविधान के पन्नों को देखे तो जहाँ एक तरफ अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद-17 समाज के किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता

है तो वहीं नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद-46 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्ग की शिक्षा व उनके हितों की रक्षा करे।

अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा हो इसके लिए 2003 में 89वें संवैधानिक संसोधन अधिनियम द्वारा प्रथक राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की स्थापना की गई है। संविधान में जनजातियों के राजनीतिक हितों की भी रक्षा की गई है व उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधानसभाओं तथा पंचायतों के चुनावों के लिए स्थान आरक्षित किये गये हैं।

संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें सरकार जनजातियों के हितों को अपने स्तर पर देखती है। इनमें शामिल हैं— सरकारी सहायता अनुदान, अनाज बैंकों की सुविधा, आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हेतु उचित शिक्षा व्यवस्था मसलन— छात्रावासों का निर्माण और छात्रवृत्ति की उपलब्धता व अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना और सांस्कृतिक सुरक्षा मुहैया कराना आदि।

इन्हीं पहलों का परिणाम है कि जनजातियों की साक्षरता दर जो 1961 में लगभग 10.3 प्रतिशत थी और 2001 में 60.41 थी जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 66.1 प्रतिशत तक बढ़ गई।

### **नशाखोरी :**

नशाखोरी ने इन आदिवासियों के पारिवारिक आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है प्रत्येक आदिवासी परिवार उत्सव, त्योहार, विवाह आदि उत्सवों पर खूब शराब, गांजा, भांग व अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं शराब पीने से उनकी आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो जाती है।

### **समस्याओं का निवारण**

उपयोजना क्षेत्र में जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तकनीकी एवं साम्प्रदायिक उत्थान के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी अनवरत प्रयत्न किये जा रहे हैं इन प्रयत्नों ने क्षेत्र के विकास की योजनाएँ, सामुदायिक विकास की योजनाएँ, शैक्षिक योजनाएँ तथा व्यक्तिगत विकास की योजना सम्मिलित है। क्षेत्रीय विकास की योजनाओं में सड़को का निर्माण कार्य, सिंचाई के साधन जैसे— वाहन एनीकट, तालाब आदि का निर्माण, विद्युतीकरण, शिक्षा का विस्तार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना आदि योजनाएँ सम्मिलित है सामुदायिक विकास की योजना के अन्तर्गत जनजाति विकास विभाग द्वारा कुछ ऐसी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं जिससे जनजाति समुदाय के समूहों को लाभ प्राप्त होता है। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं जिससे जनजाति समुदाय के समूहों को लाभ प्राप्त होता है व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी योजनाएँ क्रियान्वित की जाती हैं जिनसे जनजाति के परिवारों को आर्थिक लाभ प्राप्त होकर उनकी गरीबी दूर होती है तथा आय में वृद्धि होती है उनमें से मुख्य—मुख्य योजनाओं के नाम निम्नलिखित हैं:—

1. विस्फोट के माध्यम से कृषि कुएं गहरे करना
2. साग—सब्जी उत्पादन योजना
3. पौध संरक्षण कार्यक्रम
4. कृषि यंत्रों का वितरण
5. जिप्सम खाद का वितरण
6. रेशम कीट पालन
7. फल विकास योजना
8. मत्स्य पालन योजना
9. दुग्ध विकास योजना
10. कुओं के विद्युतीकरण का अनुदान

11. आदिवासी नर्सरी योजना
12. आश्रम छात्रावासों का संचालन
13. अकाल राहत कार्यक्रम
14. कृषि प्रदर्शन
15. आवास निर्माण योजना

यद्यपि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा इनकी समस्याओं के निवारण के लिए पर्याप्त प्रयास किये जा रहे हैं और प्रयास भी जारी है फिर भी इनकी समस्याओं का पूर्ण निराकरण नहीं हो पाया है। इसके कुछ सुझाव नीचे दिए गये हैं जिनसे विद्यमान समस्याओं के निराकरण में कुछ मदद मिल सकती है।

शैक्षणिक स्तर में सुदृढीकरण : आदिवासी जनजातियों की स्थिति में सुधार तभी होगा जब इनका शैक्षणिक स्तर सुदृढ होगा इस हेतु सरकार की प्रत्येक राजस्व गांव में एक राजकीय विद्यालय स्थापित करने चाहिए साथ ही बच्चों के अभिभावकों की प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए जिससे शिक्षा के प्रति उनका रुझान जगाया जा सके। इसी तरह उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी व कॉलेज खोलने चाहिए व जहाँ उनके रहने-खाने पीने की सुविधा निःशुल्क होनी चाहिए साथ ही आदिवासी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति भी दी जानी चाहिए जिससे वे अपनी शिक्षा यथावत रख सकें।

#### **ऋणग्रस्तता का निवारण :-**

ऋणग्रस्तता के निवारण हेतु जनजाति क्षेत्र में बीमा एवं बैंकिंग व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए। बैंकों द्वारा जनजातियों के लिए धन जमा कराने पर कुछ अधिक ब्याज व कर्ज लेने पर उनमें कुछ कम ब्याज दर लिया जाना चाहिए जिसमें वे लोग साहूकारों चंगुल से बाहर निकल सकें। दूसरे सरकार द्वारा साहूकारी प्रथा समाप्त करके इनको जरूरत की सभी वस्तुएँ उपभोक्ता भण्डार माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे साहूकारों के चंगुल में ना फंसे।

#### **बेरोजगारी की समस्या का निवारण :-**

इस समस्या के समाधान हेतु गांवों में लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए आई.टी.आई. व अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में आदिवासी युवकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी तरह निर्माण कार्यों में भी आदिवासी मजदूरों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

नशाखोरी का निवारण : सरकार को पूर्ण नशाबन्दी लागू कर आदिवासियों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाना चाहिए। शिक्षा व जनसाधारण अभियान द्वारा नशाखोरी पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

परिवहन व संचार सुविधा की समस्या का समाधान : इस हेतु जो गांव सड़कों से नहीं जुड़े हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सड़कों से जोड़ना चाहिए साथ ही जहाँ-जहाँ संचार की सुविधाएँ नहीं हैं वहाँ डाकतार की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

वन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान : आदिवासी क्षेत्रों में जंगलों की कटाई रोकने एवं उसकी सुरक्षा हेतु जंगल लगाने, उनकी सुरक्षा, रख-रखाव आदि की जिम्मेदारी आदिवासियों को दी जानी चाहिए जंगलों की निगरानी हेतु ग्रामीण स्तर की समितियां बनाई जानी चाहिए व उनकी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

चिकित्सा सेवाओं का विस्तार : जनजातीय क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का प्रचार-प्रसार कर विस्तार करना चाहिए। ए.एन.एम., उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व एक रेफरल अस्पताल की स्थापना की जानी चाहिए। यहाँ इन आदिवासी मरीजों का ईलाज निःशुल्क होना चाहिए।

#### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. गहलोत, जगदीश सिंह, "राजस्थान का सामाजिक जीवन", राजस्थान साहित्य मंदिर, जोधपुर, 1976

2. श्रीवास्तव, के.सी., "प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति", यूनाइटेड बुक डिपो, 2015
3. मेहता, प्रकाश चन्द्र, "भारत के आदिवासी", शिवा प्रकाशन, उदयपुर, 2007
4. मीणा, हरिराम, आलेख- " मिथक, इतिहास और आदिवासी", राजस्थान आदिवासी अधिकार मंच, 2011
5. वैश्वीकरण के दौर में महिलाएँ – वर्मा अमित कुमार, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, अप्रैल-जून, 2014
6. लक्ष्मीकांत, एम., "भारत की राजव्यवस्था", मेकग्रो हिल एज्युकेशन, 2016
7. भारत की जनगणना 2001, 2011, भारत सरकार जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
8. गुप्ता, अंजलि, आलेख – "बदलते परिवेश में जनजातीय समस्याएँ एवं कल्याणकारी योजनाएँ", कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, दिसम्बर-2008
9. दोषी, एस.एल. और व्यास, एन.एन., "राजस्थान के अनुसूचित जनजातियाँ", हिमांशु पब्लिकेशन, 1992
10. मीणा, गंगासहाय, "आदिवासी चिंतन की भूमिका", अनाया पब्लिकेशन, 2016